छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर – 492002)
Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

क्र. ७७ /संपदा/एफ– ०१ /2023 नवा रायपुर दिनांक 27/01 /2023

// आदेश //

विषयः–मण्डल की आवासीय योजना में स्ववित्तीय योजनांतर्गत भवनों की किश्त निर्धारण बाबत्।

———000———

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 72 वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 28.12.2022 के एजेण्डा क्रमांक 13 पर पारित संकल्प कमांक 1985/13/72/12/2022 में संचालक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, स्ववित्तीय योजनांतर्गत प्रस्तावित/निर्माणाधीन आवासीय भवनों में हितग्राहियों को भवन आबंटन हेतु निम्नानुसार किश्त निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

S. No	Registration Amount	First Installment within 03 Month from Date of allotment	Second Installment after 06 month or houses have reached upto plinth level on the basis of average progress of group which ever is later	third Installment after 12 month or houses have reached upto lintel level on the basis of average progress of group which ever is later	Fourth Installment after 18 month or RCC roof laid on the basis of average progress of group which ever is later	Fifth Installment after 24 months or at finishing stage on the basis of average progress of group which ever is later	Balance amount Balance after final fixation+ Servece Tax, LMC, Lease rent+Bldg. Permission Fees any other taxes etc. before registry
1.	10% of A	20% of A	20% of A	20% of A	20% of A	5% of A	-

अन्य समस्त अनुशांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अधिकृत किया गया।

(मण्डल के आदेशानुसार)

27/1/23
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर

पृ.क्र. 232/संपदा/एफ– ०१ /2023 नवा रायपुर, दिनॉक 27/01 /2023

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त—रायपुर/नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रशासकीय अधिकारी; छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
8. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग—01,02,04, रायपुर/ राजधानी परियोजना संभाग—01 नवा रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/ रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र—01,02,04 सेजबहार रायपुर/राजधानी परियोजना प्रक्षेत्र—रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर /रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी एन.आई.सी., छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर